भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 729
दिनांक 04 दिसंबर 2025

आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार

†729. **श्री पुट्टा महेश कुमारः**

श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य-वार तथा आंध्र प्रदेश में जिला-वार और विशेषकर एलुरु जिले और बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शनों की स्थापना के लिए आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गई कुल निधि का राज्य-वार तथा आंध्र प्रदेश में जिला-वार और विशेषकर एलुरु जिले और बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एलपीजी कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में और विशेषकर आंध्र प्रदेश में पीएमयूवाई के कार्यान्वयन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से मई, 2016 में शुरू की गई थी। दिनांक 01.11.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में आंध्र प्रदेश राज्य में 9.71 लाख कनेक्शन सहित 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन उपलब्ध थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान पीएमयूवाई के तहत जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा **अनुलग्नक -क** में दिया गया है।

विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले और बापटला संसदीय क्षेत्र (बापटला और प्रकाशम के जिलों को शामिल करते हुए) सहित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का जिलावार ब्यौरा **अनुलग्नक –ख** में दिया गया है।

पीएमयूवाई के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश /जिलावार धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता है। सरकार, पीएमयूवाई की शुरुआत से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक सिलेंडर की सुरक्षा जमा राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होस, डीजीसीसी पुस्तिका और इंस्टालेशन शुल्क हेतु प्रति पीएमयूवाई कनेक्शन पर 1600 रुपये तक का खर्च वहन कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान, यह व्यय 14.2 किलोग्राम के सिंगल बॉटल कनेक्शन/5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन के लिए बढ़ाकर 2,200 रुपये प्रति कनेक्शन तथा 5 किलोग्राम के सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए 1,300 रुपये प्रति कनेक्शन कर दिया गया है।

सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमयूवाई के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मंजूरी प्रदान की है जिससे लंबित आवेदनों का निपटान किया जा सके तथा देश में एलपीजी की पहुंच को संतृप्ति पर पहुंचाया जा सके। इस विस्तार सहित, पीएमयूवाई कनेक्शनों की कुल संख्या बढ़कर 10.58 करोड़ हो जाएगी। सरकार ने इन कनेक्शनों को जारी करने के लिए 676 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 2,050 रु प्रति कनेक्शन की दर से 25 लाख बगैर जमानत राशि कनेक्शन प्रदान करने हेतु 512.5 करोड़ रुपये, 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर (प्रति वर्ष नौ रिफिल तक, 5 किलो सिलेंडर हेतु आनुपातिक रूप से यथा-आनुपातिक) के लिए 300 रुपये की निर्धारित राजसहायता हेतु 160 करोड़ रुपये तथा परियोजना प्रबंधन व्यय, लेनदेन और एसएमएस शुल्क, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) कार्यकलापों और प्रशासनिक व्यय हेतु 3.5 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में एलपीजी उपयोग से संबंधित किसी भी मुद्दे का निवारण करने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें पीएमयूवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु अभियान चलाना, कनेक्शनों को नामांकित करने और वितरित करने के लिए मेले/शिविर आयोजित करना, आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंग्स, रेडियो जिंगल्स, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैन आदि के माध्यम से प्रचार करना, एलपीजी पंचायतों के माध्यम से अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में एलपीजी का उपयोग करने के लाभों और एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नामांकन/जागरूकता शिविर का आयोजन, आधार नामांकन के लिए उपभोक्ताओं और उनके परिवारों को सुविधा प्रदान करना और पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के लिए बैंक खाते खोलना शामिल है। सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें अग्रिम नकद व्यय को कम करने के लिए 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक स्वैप विकल्प, 5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन का विकल्प, लाभार्थियों को निरंतर आधार पर एलपीजी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन हेतु प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन, बड़े पैमाने पर जागरूकता शिविर आदि शामिल हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की संख्या के संदर्भ में) 3.68 (वित्त वर्ष 2021-22) से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 4.47 हो गई है।

*****

अनुलग्नक –क

"आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार" के संबंध में दिनांक 04.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 729 भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत पाँच वर्षों के दौरान पीएमयूवाई के तहत जारी हुए एलपीजी कनेक्शन का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक
अंडमान और निकोबार	12,602	13,403	13,447	13,827	13,822
आंध्र प्रदेश	3,91,625	4,16,861	5,12,437	9,68,332	973,213
अरुणाचल प्रदेश	44,670	47,818	49,247	53,789	53,794
असम	34,74,326	39,79,854	44,14,806	50,92,071	5,097,344
बिहार	85,23,573	1,00,94,557	1,07,33,364	1,16,19,851	11,628,502
चंडीगढ़	87	92	659	2,025	2,028
छत्तीसगढ	29,88,523	33,51,181	34,92,221	37,85,197	3,801,362
दादरा नगर-हवेली दमन और दीव	15,166	15,050	15,033	17,812	17,791
दिल्ली	76,190	98,756	1,42,164	2,56,931	259,579
गोवा	1,081	1,081	1,265	1,956	1,955
गुजरात	28,99,233	34,38,252	38,43,237	43,04,694	4,308,245
हरियाणा	7,26,751	7,38,980	7,67,322	11,12,992	1,115,081
हिमाचल प्रदेश	1,35,960	1,38,382	1,40,822	1,50,837	150,692
जम्मू और कश्मीर	12,30,134	12,38,847	12,45,438	12,69,743	1,269,651
झारखंड	32,58,502	34,74,963	36,46,220	38,95,366	3,894,458
कर्नाटक	31,43,099	34,66,468	37,57,704	41,48,108	4,146,532
केरल	2,56,136	3,00,498	3,41,187	3,87,761	387,759
लद्दाख	11,072	11,099	11,090	11,089	11,085
लक्षद्वीप	292	302	309	365	370
मध्य प्रदेश	71,43,875	79,38,596	82,27,427	88,32,154	8,846,577
महाराष्ट्र	44,19,772	46,98,339	48,90,055	52,15,785	5,217,287
मणिपुर	1,56,398	1,78,392	2,02,029	2,24,999	224,916
मेघालय	1,50,526	1,73,142	2,14,928	3,16,624	317,155
मिजोरम	28,122	29,645	33,595	36,031	36,006
नगालैंड	54,096	77,111	91,807	1,22,199	122,138
ओडिशा	47,36,666	51,88,279	53,19,685	55,47,343	5,549,146
पांडिचेरी	13,568	14,218	14,833	19,322	19,389
पंजाब	12,19,883	12,35,939	12,83,976	13,59,705	1,359,256
राजस्थान	63,59,564	66,20,356	69,27,163	73,77,084	7,381,006
सिक्किम	8,752	12,457	13,795	19,911	19,872
तमिलनाडु	32,37,695	34,50,256	37,04,058	41,01,978	4,099,805
तेलंगाना	10,71,393	11,11,322	11,52,850	11,85,624	1,184,171
त्रिपुरा	2,71,530	2,71,904	2,83,503	3,15,462	316,411
उत्तर प्रदेश	1,47,33,034	1,67,18,454	1,75,03,067	1,85,92,478	18,593,754
उत्तराखंड	4,03,234	4,49,877	4,96,450	5,30,167	530,076
पश्चिम बंगाल	88,39,050	1,09,08,400	1,23,72,225	1,23,76,395	12,374,688

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज की ओर से आईओसीअल

अनुलग्नक –ख

"आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार" के संबंध में दिनांक 04.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 729 भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमयूवाई कनेक्शन का जिला-वार ब्यौरा

जिला	पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या
अलुरी सीताराम राजू	19,120
अनकापल्ली	28,231
अनंतपुर	20,465
अन्नमय	5,199
बापतला	**11,284**
चित्तूर	9,304
कडप्पा (वाईएसआर कडप्पा)	15,670
पूर्वी गोदावरी	37,899
एलुरु	**23,719**
गुंटूर	7,776
काकीनाडा	49,470
कोनासीमा	22,732
कृष्ण	15,508
कुरनूल	29,889
नंद्याला	18,017
नेल्लोर (श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	32,255
एनटीआर	23,347
पालनडु	11,699
पार्वतीपुरममन्यम	14,289
प्रकाशम	**15,160**
श्री सत्य साईं	16,494
श्रीकाकुलम	38,889
तिरुपति	10,169
विशाखापत्तनम	15,531
विजयनगरम	52,204
पश्चिम गोदावरी	35,439
आंध्र प्रदेश - कुल	**5,79,759**

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज की ओर से आईओसीअल